

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

निशि कांत सिंह उर्फ अमित कुमार सिंह

बनाम

सुनीता देवी

2017 की विविध अपील मामला सं. 147

24 जुलाई, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी.बजंथरी और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.पीडी.सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या पति-पत्नी के बीच 22 वर्षों का लंबा अलगाव, जिसके कारण विवाह पूरी तरह से टूट गया, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i -a) के तहत मानसिक क्रूरता का गठन करता है, जिसके लिए तलाक का आदेश दिया जाना आवश्यक है। [पैरा 11, 12, 15]

हेडनोट्स

तलाक - क्रूरता के रूप में विवाह का अपूरणीय विघटन - लंबे समय तक लगातार अलगाव, जहाँ वैवाहिक बंधन सुधार से परे हो और विवाह एक मात्र कानूनी कल्पना बन गया हो, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i -a) के अंतर्गत मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक बंधन तोड़ने से इनकार करना, पक्षकारों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति कम सम्मान दर्शाता है और दुख को बढ़ाता है, जिससे विवाह विच्छेद को उचित ठहराया जा सकता है। [अनुच्छेद 14(xv), 15, 16]

स्थायी गुजारा भत्ता - निर्धारण हेतु रिमांड - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए दोनों पक्षों की आय, संपत्ति, देनदारियों और सामाजिक स्थिति की विस्तृत जाँच आवश्यक है। यदि निचली अदालत द्वारा ऐसी जाँच नहीं की गई है, तो मामले को स्थापित सिद्धांतों के आधार पर नए सिरे से निर्धारण के लिए रिमांड पर लिया जाना चाहिए, जिसमें दोनों पति-पत्नी द्वारा संपत्ति और देनदारियों का खुलासा भी शामिल है। [अनुच्छेद 19, 20, 22]

तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का अधिकार क्षेत्र - तलाक के आदेश के पारित होने से स्थायी गुजारा भत्ता देने का न्यायालय का अधिकार समाप्त नहीं होता। तलाक के आदेश के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया जा सकता है, और न्यायालय के पास ऐसे दावे पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र बना रहता है। [अनुच्छेद 21]

न्याय दृष्टान्त

जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जयसवाल मजूमदार, (2021) 2 आरसीआर (सिविल) 289; समर घोष बनाम जया घोष, (2007) 4 एससीसी 511; रजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एससीसी 324; अदिति उर्फ मीठी बनाम जितेश शर्मा (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451; प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3678

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक, मानसिक क्रूरता, विवाह का अपूरणीय विघटन, लंबा अलगाव, स्थायी गुजारा भत्ता, रिमांड, संपत्ति और देनदारियों का खुलासा, धारा 25 एचएमए, वैवाहिक बंधन, विघटन का आदेश

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक वाद संख्या 26/2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कैमूर (भभुआ) द्वारा दिनांक 23.12.2016 एवं 05.01.2017 को पारित निर्णय एवं डिक्री, जिसके द्वारा अपीलार्थी-पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/अपीलकर्ताओं के लिए : श्री चक्रवर्ती सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी/उत्तरवादियों के लिए : श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की विविध अपील सं . 147

=====

निशी कांत सिंह उर्फ अमित कुमार सिंह पिता- राम किशोर सिंह, निवासी- गाँव- मारीचांव,
थाना- भभुआ, जिला- कैमूर, भभुआ, वर्तमान में भभुआ वार्ड सं. 2 पुराना, वार्ड सं. 25 नया,
थाना- भभुआ, जिला-कैमूर, भभुआ।

... .. अपीलार्थी/ओं

बनाम

सुनीता देवी, पति- निशी कांत सिंह और पिता- प्यारेलाल सिंह, निवासी- गाँव- मारीचांव, थाना-
भभुआ, जिला कैमूर, भभुआ, वर्तमान में महेसुआ, थाना- भभुआ और वार्ड सं. 1, थाना-
भभुआ, जिला- कैमूर, भभुआ में रहती हैं।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री चक्रवर्ती सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. बजंथरी

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह)

तारीख: 24-07-2025

पक्षों को सुना।

2. अपीलकर्ता ने इस अपील में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कैमूर (भभुआ) द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 26/2006 में दिनांक 23.12.2016 और 05.01.2017 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील की है, जिसके तहत अपीलकर्ता-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 अधिनियम') की धारा 13(1) के तहत दायर की गई याचिका, जिसमें तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ता को अंतरिम भरण-पोषण की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

3. संक्षेप में, अपीलकर्ता का विवाह उत्तरवादी के साथ 27 जून 1988 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह विधिवत संपन्न हुआ; और इस विवाह से प्रियकांत नाम की एक लड़की का जन्म हुआ।

4. अपीलकर्ता-पति द्वारा पारिवारिक न्यायालय में दायर की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि उसका विवाह उत्तरवादी के साथ 27.06.1988 को महेसुआ गाँव में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। उनके विवाह से 17.09.1992 को प्रियकांत नाम की एक बेटी का जन्म हुआ। उत्तरवादी का गाँव अपीलकर्ता के घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है जहाँ वह अपीलकर्ता और उसके माता-पिता की अनुमति के बिना अक्सर आती-जाती रहती थी। उत्तरवादी के इस व्यवहार से व्यथित होकर, जब अपीलकर्ता और उसके माता-पिता ने यह जानना चाहा कि "वह अपने माता-पिता के घर बार-बार क्यों आती-जाती थी?" तो उन्हें पता चला कि वह अपने माता-पिता के प्रभाव में अपीलकर्ता के परिवार की शांति भंग करना चाहती है। उत्तरवादी के लंबे समय तक अपने माता-पिता के घर में रहने के कारण, अपीलकर्ता और उसका परिवार सामाजिक रूप से अपमानित और मानसिक व शारीरिक रूप से भयभीत महसूस कर रहे थे। जब अपीलकर्ता ने उत्तरवादी से अपने माता-पिता के घर न आने का अनुरोध किया, तो उसने अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा और गाली-गलौज शुरू कर दी। आगे आरोप है कि मार्च, 1997 में, उत्तरवादी ने उसके सारे गहने ले लिए और उसका ससुराल छोड़ दिया। उत्तरवादी के बुरे व्यवहार से तंग आकर अपीलकर्ता ने उसे अपने ससुराल वापस न लाने का फैसला किया, लेकिन दोनों पक्षों के शुभचिंतकों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण, अपीलकर्ता ने उत्तरवादी को उसके लिखित वचन (एक्सटेंशन-7) पर 15.07.1998 को उसके ससुराल वापस ले आया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसके वैवाहिक परिवार की प्रतिष्ठा दाँव पर लगे। इसके बाद, उत्तरवादी अपीलकर्ता के साथ रहने लगी, लेकिन किसी तरह दो साल बीत जाने के बाद, उत्तरवादी ने फिर से अपीलकर्ता और ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपीलकर्ता को उसके साथ रहने की अनुमति नहीं दी। अंततः, 01.06.2002 को, उसने अपने माता-पिता के कहने पर अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया

और आज तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद उत्तरवादी ने अपीलकर्ता और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत मामला संख्या 670/2005 दायर किया। उपरोक्त मामले में, अपीलकर्ता को जेल में रखा गया था और उसे जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने विवाह विच्छेद के लिए 15.04.2006 को वैवाहिक मामला संख्या 26/2006 दायर किया। उत्तरवादी 01.06.2002 से अपीलकर्ता से अलग रह रहा है। अपीलकर्ता और उत्तरवादी के बीच वैवाहिक संबंध पहले ही पूरी तरह से टूट चुके हैं और उनके वैवाहिक जीवन के बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं है।

5. उत्तरवादी -पत्नी उपस्थित हुई और उसने अपना लिखित बयान दायर किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर तत्काल तलाक याचिका न तो तथ्यात्मक रूप से और न ही कानूनन विचारणीय है। उसने कहा है कि वह अपीलकर्ता और उसके माता-पिता की अनुमति के बिना कभी भी अपने माता-पिता के घर नहीं आती-जाती थी और न ही उसके माता-पिता उसके ससुराल आते थे और अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के प्रति उसकी कोई दुर्भावना नहीं है। उसने आगे कहा कि उत्तरवादी द्वारा जो भी काम किया गया वह शालीनता से किया गया था और उसने यह भी कहा कि वह अपने पति और ससुराल वालों की अनुमति से ही कभी-कभार अपने माता-पिता के घर जाती थी और जल्द ही अपने ससुराल लौट आती थी और वह अपने पति की अनुमति के बिना कभी भी स्वतंत्र रूप से अपने माता-पिता के घर नहीं जाती थी। उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ अशिष्ट व्यवहार भी नहीं किया। उत्तरवादी ने अपीलकर्ता के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे उसका आचरण संदिग्ध प्रतीत हो, बल्कि, अपीलकर्ता उत्तरवादी के साथ इस तरह का व्यवहार करती थी कि उत्तरवादी को अपीलकर्ता के चरित्र पर संदेह था, लेकिन उसने इस तथ्य को कभी व्यक्त नहीं किया और हमेशा

अपने पति को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने यह भी कहा है कि वह कभी भी अपने माता-पिता के घर कोई आभूषण नहीं ले गई और उत्तरवादी के सभी आभूषण उसके ससुराल वालों के पास थे और उसके ससुराल वालों ने आभूषण अपीलकर्ता की बहन को दे दिए, जिसका उत्तरवादी ने विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप, उसके ससुराल वाले नाराज हो गए और बेतुकी बातें कहने लगे, लेकिन उत्तरवादी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे अपीलकर्ता और उसके माता-पिता को ठेस पहुँचे। उत्तरवादी ने अपीलकर्ता को कभी भी शारीरिक संबंध बनाने से वंचित नहीं किया, बल्कि वह हमेशा उसके साथ रही और आज भी वह अपीलकर्ता के साथ रहने को तैयार है। उत्तरवादी ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने दूसरी शादी कर ली है और जब उसने इसका विरोध किया तो अपीलकर्ता, उसके माता-पिता और अपीलकर्ता की बहन ने उत्तरवादी को बहुत परेशान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उनकी मंशा उत्तरवादी को जान से मारने की थी, जिसके कारण उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तरवादी ने यह भी कहा कि उसने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे अपीलकर्ता को मानसिक या शारीरिक पीड़ा हुई हो। इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता ने दूसरी शादी कर ली है, उत्तरवादी अपने पति के साथ रही और पत्नी धर्म का पालन करते हुए आज भी उसके साथ रहने को तैयार है। उत्तरवादी ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के माता-पिता लालची लोग हैं और वे हमेशा उसे दहेज के लिए परेशान करते रहते हैं। उत्तरवादी ने यह भी कहा कि तलाक की याचिका में अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उत्तरवादी ने अनुरोध किया है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर तलाक की याचिका खारिज कर दी जाए।

6. अपना मामला साबित करने के लिए, अपीलार्थी ने दो गवाहों अ.सा. 1 निशि कांत सिंह (स्वयं अपीलार्थी) और अ.सा. 2 राम किशोर सिंह (अपीलार्थी के पिता) को पेश किया है।

7. अपीलकर्ता ने कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

अनुभाग-1, भभुआ पुलिस थाने की प्रमाणित प्रति। मामला संख्या 280/2006

अनुभाग-2 सत्र परीक्षण संख्या 132/2008 में प्रस्तुत मालती देवी के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति।

अनुभाग-3 सत्र परीक्षण संख्या 132/2008 के आदेश-पत्र की प्रमाणित प्रति।

अनुभाग-4 शिकायत प्रकरण संख्या 670/2005 में पारित दिनांक 08.09.2005 और 24.04.2006 के आदेशों की प्रमाणित प्रति।

अनुभाग-5 शिकायत प्रकरण संख्या 670/2005 में पारित उप-मंडल न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ के आदेश की प्रमाणित प्रति।

अनुभाग-6 सत्र परीक्षण संख्या 132/2008 में दिए गए वचनपत्र की प्रमाणित प्रति।

अनुभाग-7 वैवाहिक प्रकरण संख्या 43/2007 की प्रमाणित प्रति।

अनुभाग-8 भरण-पोषण प्रकरण संख्या 32/2010 की प्रमाणित प्रति। विस्तार-9, सत्र परीक्षण संख्या 132/2008 में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति।

8. उत्तरवादी- पत्नी ने अपीलकर्ता के मामले को झूठा साबित करने के लिए दो गवाह भी पेश किए हैं जो हैं वि.सा. -1 सुनीता कुमारी (स्वयं उत्तरवादी) और वि.सा. -2 प्यारे लाल सिंह (उत्तरवादी के पिता)।

9. उत्तरवादी-पत्नी ने वैवाहिक वाद संख्या 43/2007 में विद्वान पारिवारिक न्यायालय, भभुआ द्वारा अनुभाग-1 के रूप में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति अभिलेख में प्रस्तुत की है।

10. मुकदमे के समापन के बाद, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद के विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि अपीलार्थी ने विवाह विच्छेद का मामला नहीं बनाया है। इसलिए, तलाक की याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया गया। विद्वान परिवार न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित अपीलार्थी-पति ने इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील दायर की।

11. तलाक की याचिका क्रूरता और पलायन के आधार पर दायर की गई है। विवादित फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि परिवार न्यायालय द्वारा क्रूरता और पलायन के निम्नलिखित कृत्यों पर विचार किया गया था, जैसा कि साबित हुआः.

क) क्रूरता:

(i) मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि तलाक की याचिका दायर करने के समय भी दंपति की शादी को लगभग 18 साल हो चुके थे। यह विवाह 27.06.1988 को हुआ था और वे 01.06.2002 से अलग-अलग रह रहे हैं।

(ii) माना जाता है कि दोनों पक्ष 01.06.2002 को अलग हो गए और उत्तरवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत मामला संख्या 670/2005 और भभुआ थाना मामला संख्या 280/2006 (सत्र परीक्षण संख्या 132/2008) दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता पक्ष को दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया।

(iii) अपीलार्थी और उत्तरवादी लगभग 22 वर्षों से अलग रह रहे हैं और इस लंबे अलगाव ने वास्तव में उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि वैवाहिक बंधन टूट गया है। दंपति के एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है और इस तरह की शादी अब अव्यवहारिक है और पक्षों के लिए बहुत दुख का स्रोत हो सकती है, अगर इसे जारी रखने की अनुमति दी गई।

ख) परित्याग:

(i) उत्तरवादी -पत्नी ने 01.06.2002 को अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और तब से अपीलकर्ता और उत्तरवादी अलग-अलग रह रहे हैं। हालाँकि उत्तरवादी-पत्नी ने 07.06.2007 को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक मामला दायर किया था, जिसे 07.06.2009 को अनुमति दे दी गई थी, लेकिन उत्तरवादी और अपीलकर्ता अपने वैवाहिक संबंध को बहाल नहीं कर सके।

12. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है: "क्या वर्तमान स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा क्रूरता और त्याग के आधार पर दायर तलाक याचिका की मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई प्रासंगिकता है।

13. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) के अर्थ के भीतर क्रूरता की अवधारणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है।

"जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जैसवाल मजूमदार", (2021) 2 आर.सी.आर. (सिविल) 289,
निम्नानुसार अवलोकन करके:

"10. मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने वाले जीवनसाथी के कहने पर विवाह विच्छेद पर विचार करने के लिए, ऐसी मानसिक क्रूरता का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि वैवाहिक संबंध जारी

रखना संभव न हो। दूसरे शब्दों में, पीड़ित पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसे आचरण को क्षमा करे और अपने जीवनसाथी के साथ रहना जारी रखे। सहनशीलता की क्षमता एक जोड़े से दूसरे जोड़े में अलग-अलग होगी और न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कथित क्रूरता पीड़ित पक्ष के कहने पर विवाह विच्छेद को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है, दोनों पक्षों की पृष्ठभूमि, शिक्षा का स्तर और स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा..."

14. "समर घोष बनाम जया घोष", (2007) 4 एससीसी 511, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरणात्मक मामले दिए जहां मानसिक क्रूरता का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों पर करना होगा।

"85. मार्गदर्शन के लिए कभी भी कोई एकसमान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी हम मानवीय व्यवहार के कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझते हैं जो 'मानसिक क्रूरता' के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते

हैं। आगे के अनुच्छेदों में दिए गए उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

(i) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक पीड़ा, वेदना और कष्ट, जो पक्षकारों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव न बना दें, मानसिक क्रूरता के व्यापक मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं।

(ii) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन का व्यापक मूल्यांकन करने पर, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित पक्ष को ऐसे आचरण को सहन करने और दूसरे पक्षकार के साथ रहने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(iii) केवल उदासीनता या स्नेह का अभाव क्रूरता नहीं माना जा सकता, भाषा का बार-बार अशिष्ट होना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासीनता और उपेक्षा इस हद तक पहुँच सकती है कि यह दूसरे पति/पत्नी के लिए विवाहित जीवन को पूरी तरह असहनीय बना देती है।

(iv) मानसिक क्रूरता मन की एक अवस्था है। एक जीवनसाथी में दूसरे जीवनसाथी के

आचरण के कारण लंबे समय तक गहरी पीड़ा, निराशा और हताशा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

(v) जीवनसाथी के जीवन को यातना देने, असुविधा पहुँचाने या दुखी करने के लिए लगातार अपमानजनक व्यवहार।

(vi) एक जीवनसाथी का लगातार अनुचित आचरण और व्यवहार, जो वास्तव में दूसरे जीवनसाथी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस व्यवहार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और गंभीर होनी चाहिए।

(vii) लगातार निंदनीय आचरण, जानबूझकर की गई उपेक्षा, उदासीनता या वैवाहिक दयालुता के सामान्य मानक से पूरी तरह विचलन, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है या परपीडक सुख मिलता है, भी मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

(viii) आचरण ईर्ष्या, स्वार्थ, अधिकार-बोध से कहीं अधिक होना चाहिए, जो दुःख, असंतोष

और भावनात्मक परेशानी का कारण बनता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का आधार नहीं हो सकता।

(ix) केवल मामूली चिड़चिड़ाहट, झगड़े, वैवाहिक जीवन में सामान्य टूट-फूट, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में होती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

(x) वैवाहिक जीवन की समय समीक्षा की जानी चाहिए और कुछ वर्षों की अवधि में कुछ छिटपुट घटनाओं को क्रूरता नहीं माना जाएगा। दुर्व्यवहार काफी लंबे समय तक जारी रहना चाहिए, जहाँ रिश्ता इस हद तक बिगड़ गया हो कि जीवनसाथी के कार्यों और व्यवहार के कारण पीड़ित पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ रहना बेहद मुश्किल हो रहा हो, यह मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

(xi) यदि कोई पति बिना चिकित्सीय कारणों के और अपनी पत्नी की सहमति या जानकारी के बिना नसबंदी ऑपरेशन करवाता है और इसी प्रकार यदि पत्नी बिना चिकित्सीय कारण के या अपने पति की सहमति या जानकारी के बिना नसबंदी या गर्भपात करवाती है, तो पति या

पत्नी का ऐसा कृत्य मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी एक का विवाह से बच्चा न पैदा करने का एकतरफा निर्णय क्रूरता माना जा सकता है।

(xiv) जहाँ लगातार अलगाव की लंबी अवधि रही हो, वहाँ यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन अब सुधार योग्य नहीं है। विवाह एक काल्पनिक बंधन बन जाता है, हालाँकि यह एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित है। उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके, ऐसे मामलों में कानून विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता है; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दर्शाता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता को नुकसान पहुँचा सकता है..."

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, जब हम पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में वर्तमान मामले की जाँच करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्षकारों के बीच लंबा अलगाव है और वैवाहिक बंधन लगभग अपूरणीय है और ऐसी स्थिति में, यदि तलाक नहीं दिया जाता है, तो यह विवाह की पवित्रता को बनाए नहीं रखेगा। यह सच है कि अपीलकर्ता उत्तरवादी को प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान कर रहा है। उत्तरवादी ने अपनी बेटी की शिक्षा पूरी करने के बाद उसकी शादी कर दी है। उत्तरवादी स्वयं आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत है। पक्षकारों के बीच 22 वर्षों का लंबा अलगाव है और इतने लंबे समय के बाद उन्हें अपने वैवाहिक संबंध जारी रखने की अनुमति देना दोनों पक्षों के लिए उचित नहीं होगा।

16. आगे की चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपीलार्थी-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i-a) में उल्लिखित आधार पर विवाह के विघटन की डिक्री देने के लिए एक आधार बनाया है।

17. जहाँ तक उत्तरवादी -पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रश्न है, अपीलकर्ता-पति के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता उत्तरवादी -पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 7 लाख रुपये देने को तैयार है, जबकि उत्तरवादी -पत्नी 7 लाख रुपये से सहमत नहीं है और उसने स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 35 लाख रुपये देने का सुझाव दिया है। यहाँ, हमारे पूर्व आदेशों दिनांक 01.05.2025 और 26.06.2025 के प्रासंगिक अंश उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:-

01.05.2025

“2. उत्तरवादी समय-समय पर मासिक भरण-पोषण का भुगतान कर रहा है। उत्तरवादी सुनीता देवी

आंगनबाड़ी सेविका हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से की है और उच्च शिक्षा भी प्रदान की है। अपीलकर्ता ने अपनी बेटी की शिक्षा या विवाह का कोई खर्च नहीं उठाया है। इसलिए, मुकदमे को शांत करने के लिए, दोनों पक्ष 7,000,00/- रुपये (सात लाख रुपये) के एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता समझौते पर सहमत हुए हैं। इस संबंध में, दोनों संबंधित अधिवक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे समझौते और विनिमय का एक मसौदा विलेख तैयार करें और समझौते के मसौदा विलेख को संशोधित करें और उसे अंतिम रूप देकर अगली सुनवाई की तारीख को प्रस्तुत करें।”

26-06-2025

“2. दिनांक 01.05.2025 के पूर्व आदेश के आलोक में, अपीलकर्ता - निशि कांत सिंह 3 लाख रुपये की राशि का माँग ड्राफ्ट लेकर आई हैं, हालाँकि, उत्तरवादी - सुनीता देवी एकमुश्त निपटान के लिए इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आज, उन्होंने 01.05.2025 को अपने पूर्व निर्णय को स्थायी रूप से स्वीकार करने के लिए गुजारा भत्ते पर अस्वीकार कर

दिया है, इसलिए, मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।”

18. यहाँ 1955 के अधिनियम की धारा 25 का उल्लेख करना उपयोगी है, जो इस प्रकार है:

“धारा 25. स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण: इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, किसी भी डिग्री को पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर, यह आदेश दे सकता है कि उत्तरवादी, अपीलकर्ता को उसके भरण-पोषण के लिए ऐसी सकल राशि या मासिक या आवधिक राशि का भुगतान करेगा जो आवेदक के जीवनकाल से अधिक न हो, जो उत्तरवादी की अपनी आय और अन्य संपत्ति, यदि कोई हो, आवेदक की आय और अन्य संपत्ति (पक्षकारों का आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियाँ) को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हो, और ऐसा कोई भी भुगतान, यदि आवश्यक हो, उत्तरवादी की अचल संपत्ति पर भार द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है।

19. 1955 के अधिनियम की धारा 25 में उपयोग की गई भाषा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25 के तहत दावा उस आवेदन पर किया जाना चाहिए जिसमें उसकी अपनी आय या अन्य संपत्ति के बारे में सभी विवरण दिए गए हों। इसके अलावा दूसरे पक्ष को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

20. भरण-पोषण की राशि प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक होती है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर करती है। न्यायालय को ऐसे कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है जैसे दोनों पक्षों की आय; विवाह के दौरान आचरण; उनकी व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति; प्रत्येक पक्ष के व्यक्तिगत खर्च; अपने आश्रितों का भरण-पोषण करने की उनकी व्यक्तिगत क्षमताएँ और कर्तव्य; विवाह के दौरान पत्नी द्वारा भोगी गई जीवन की गुणवत्ता; विवाह की अवधि और ऐसे ही अन्य कारक। स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दोनों पक्षों की सामाजिक, वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद और पति या पत्नी पर पड़ने वाले दायित्वों के बोझ को समझने के बाद दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, *रजनेश बनाम नेहा मामले में (2021) 2 एससीसी 324 में अदिति उर्फ़ मीठी बनाम जितेश शर्मा (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451 में रिपोर्ट किया गया में* के साथ *प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन के साथ (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3678 में रिपोर्ट किया गया)।*

21. चाहे जो भी हो, 1955 के अधिनियम की धारा 25 में ही यह प्रावधान है कि पत्नी तलाक के आदेश के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता देने की कार्यवाही शुरू कर सकती है। इसलिए, आदेश पारित होने के साथ ही न्यायालय पदेन नहीं हो जाता और उसके बाद भी

गुजारा भत्ता देने का अधिकार क्षेत्र उसके पास बना रहता है। डिक्री के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है।

22. तदनुसार, हम इस मामले को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, भुवनेश्वर के पास केवल स्थायी गुजारा भत्ते की राशि तय करने के लिए वापस भेजना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलकर्ता-पति और उत्तरवादी -पत्नी को निर्देश दे कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *रजनेश बनाम नेहा (2021) 2 एससीसी 324* के साथ *अदिति उर्फ मीठी बनाम जितेश शर्मा (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451* के साथ *प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3678)* पढ़ा गया, निर्णय के आलोक में अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण दाखिल करें और उनकी संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण करने के बाद, निर्णय पारित होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर स्थायी गुजारा भत्ते के संबंध में उचित आदेश पारित करें। दोनों पक्षों को उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटारे में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। किसी भी पक्ष के उपस्थित न होने की स्थिति में, कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाएगा।

23. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, एम.ए. संख्या 147/2017 का निपटारा किया जाता है।

24. लंबित आई.ए., यदि कोई हो, निपटारा किया जाता है।

(एस. बी. पीडी सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. बजंथरी, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।